



2026:AHC:22205

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 596 वर्ष 2026

सुनील सिंह एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: कौन्तेय सिंह, सिद्धार्थ खरे

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., नवनीत चंद्र त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे और श्री कौन्तेय सिंह के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता श्री एन.सी. त्रिपाठी को सुना गया।
2. आज प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपाठी द्वारा यह कथन दिया गया है कि वे आवश्यक निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और वे कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जाए।
4. पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण नवीन चरण पर ही किया जा रहा है।
5. वर्तमान याचिका में रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को प्रारंभ में 02.03.2009 को आर.पी.एफ. (रेलवे सुरक्षा बल) में आरक्षी के रूप में नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 2 को 28.09.2006 को आर.पी.एफ. में आरक्षी के रूप में नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं को 17.11.2021 को उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। प्रधानाचार्य, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे, गोरखपुर द्वारा 11.09.2024 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अधिसूचना के अनुसार, कुल 7 पदों में से 5 सामान्य श्रेणी से, 1 अनुसूचित जाति श्रेणी से और 1 अनुसूचित जनजाति श्रेणी से भरे जाने थे। रिट याचिकाकर्ताओं ने स्वयं को पूर्णतः पात्र और योग्य बताते हुए क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया और उन्हें क्रमशः रोल नंबर 12354 और 12353 आवंटित किए गए। उन्हें 05.11.2025 को बहु-विषयक प्रणाली प्रशिक्षण

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



केंद्र एमटीएससी, पूर्वोत्तर रेलवे, चार फाटक के पास, मोहददीपुर, गोरखपुर में उपस्थित होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किए गए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 05.11.2025 को निर्धारित परीक्षा में भाग लिया। याचिकाकर्ता संख्या 1 को ओ.एम.आर. शीट सेट-सी जारी की गई थी, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 को ओ.एम.आर. शीट सेट-बी दी गई थी। 14.11.2025 को प्रतिवादियों द्वारा उत्तर कुंजी जारी की गई, जिसके अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं के चयनित होने की अच्छी संभावना थी। तथापि, 30.12.2025 को अंतिम परिणाम प्रकाशित किए गए, जिनमें याचिकाकर्ताओं का नाम शामिल नहीं था, बल्कि उनके स्थान पर समान स्थिति वाले अन्य उम्मीदवार थे। इसके पश्चात, 24.12.2025 और 30.12.2025 को आदेश संलग्नक-6, 7 और 8 पारित किए गए, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं के परिणाम घोषित नहीं किए गए और उन्हें विवर्जित कर दिया गया।

6. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

7. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित आदेश इस सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि रिट याचिकाकर्ताओं को विवर्जित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्हें अपना उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

8. इस संबंध में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 2813/2017, रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा अन्य रिट याचिकाओं जो 16.04.2018 को निर्णीत हुई थीं में दिए गए निर्णय और अंतः-न्यायालय विशेष अपील संख्या 1045/2018, भारत संघ बनाम रण विजय सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.05.2019 पर भरोसा जताया गया है, जिसके द्वारा विशेष अपील खारिज कर दी गई थी।

9. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादियों के विचार का एकमात्र आधार सी.सी.टी.वी. फुटेज था, और यह कि प्रवेश पत्र में उल्लेखित बिंदु संख्या 2 और 7 का उल्लंघन किया गया था तथा यह मामला बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के आपस में बात करने का था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सी.सी.टी.वी. फुटेज को तब तक विचार योग्य दस्तावेज नहीं कहा जा सकता जब तक कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी) के अंतर्गत प्रमाणन दर्ज न किया गया हो। आगे यह निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई कृत्य या लोप नहीं किया है जो उस संबंध में नियमों के विरुद्ध हो।

10. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री त्रिपाठी ने निवेदन किया है कि प्रवेश पत्र में विभिन्न निर्देश दिए गए हैं, जिनका उम्मीदवारों को पालन करना होता है। उन्होंने निवेदन किया कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता प्रवेश पत्र में निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने आगे निवेदन किया कि विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिया गया था और विवर्जित किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका रिट याचिकाकर्ता अपना उत्तर देंगे और तत्पश्चात अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे।

11. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. स्पष्ट रूप से, रिट याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने प्रवेश पत्र में परिकल्पित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। रिट याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उन्हें विवर्जित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। रण विजय सिंह (सुप्रा) में एक समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें निम्नानुसार धारित किया गया था:-

"24. वर्तमान मामले में न केवल याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित किया गया है, बल्कि उन्हें आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में तीन वर्ष तक बैठने से भी विवर्जित कर दिया गया है। आयोग का ऐसा आदेश स्पष्ट रूप से कलंककारी प्रकृति का है। चुनौती दिए गए आदेश के नागरिक परिणाम भी होते हैं। ऐसा आदेश केवल हस्तलेख रिपोर्ट के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता, जिसकी प्रकृति मात्र एक 'राय' की होती है, और इसे निर्णायक नहीं माना जा सकता।

...

26. प्रतिवादियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके विरुद्ध उपयोग की गई सामग्री से अवगत कराते। ऐसी सामग्री युक्त एक कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक था, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा में बैठने से तीन वर्ष के लिए विवर्जित किया जा रहा था। दिनांक 05.08.2015 के नोटिस को कारण बताओ नोटिस नहीं माना जा सकता। इसने केवल याचिकाकर्ताओं को उनके नमूना हस्ताक्षर, हस्तलेख और अंगूठे का निशान देने के लिए बुलाया था क्योंकि आयोग की राय थी कि वे मेल नहीं खाते। सी.एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद न तो याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस दिया गया, न ही रिपोर्ट की सामग्री से उन्हें अवगत कराया गया।

...

29. यद्यपि सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट और उसके विशेषज्ञों की राय महत्व की हकदार होगी, विशेष रूप से तब जब कोई पूर्वाग्रह या दुर्भावना का आरोप न हो, फिर भी राय की प्रकृति का होने के कारण, यह याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिरूपण को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं कर सकती। प्रतिवादियों की कार्रवाई अन्यथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, मेरा यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ताओं के अनंतिम चयन को रद्द करने और उन्हें आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में तीन वर्ष तक बैठने से विवर्जित करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तदनुसार, दिनांक 27.10.2016 और 14.12.2016 के विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है।"

13. यह तथ्य सामने नहीं आ रहा है कि विवर्जित करने से पूर्व रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। जैसा कि श्री त्रिपाठी द्वारा सुझाव दिया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे।

14. तदनुसार, विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। दिनांक 24.12.2025 और 30.12.2025 के आदेश, जहाँ तक वे रिट याचिकाकर्ताओं से संबंधित हैं, निरस्त किए जाते हैं। मामला नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्राधिकारी को वापस प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. श्री त्रिपाठी ने निवेदन किया है कि 20.02.2026 तक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा। रिट याचिकाकर्ता 15 दिनों की अवधि के भीतर उसका उत्तर प्रस्तुत करेंगे और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

16. रिट याचिकाकर्ताओं को मिलने वाला लाभ प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

2 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"